न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)

वाद सं0 375 सन 2018

अनवान :–

1. हंसराज पुत्र पनराम जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. पनाराम पुत्र चुनी जाति जाट निवासी जोरावरपुरा तहसील नोहर।
2. जयलाल 3 इन्द्राज 4 मैनपाल पि0 पनाराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर।
5. सुभाषचन्द्र 6 सुमित्रा पुत्र /पुत्री धनपत पुत्र पनाराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर।
7. जेहरो देवी पत्नी धनपत पुत्र पनाराम जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर
8. मैना पत्नी आदराम जाति पना जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर।
9. विनोद 10 कृष्णलाल पि0 आदराम पना जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर
11 रेवन्ती 12 भागवन्ती 13 कमला पुत्रीयान पना जाति जाट साकिन जोरावरपुरा तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 07.08.2018

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खसरा न0 6/3.3650 ,10/397 की 2.2760 ,10/398 की 2.0100 कुल 7.6510हैक एवं रोही मौजा जोरावरपुरा के खसरा न0 24/3.9460हैक , 28/4.7040 ,कुल 8.6500हैक भूमि वादी के दादा चुनी के नाम से दर्ज थी जो छोटी उम्र में ही देहान्त होने के कारण सीधे पनाराम के नाम से दर्ज हो गई पनाराम के वादी एवं प्रतिवादीगण जायज व कानुनी वारिसान है जिनका पन्ना के साथ बहिब का हकदार है पनाराम व उसकी पुत्रीयों संख्या 11 ता 13 ने अपना हक व हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में त्याग किया हुआ है तथा वादी एव प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि का बाहमी बटवार कर रखा है जो वाद की मद संख्या 7 के अनुसार है इसी के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादीगण के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा चुनी के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने के बाद विरास्तन से प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 6 ,7 11 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग अपने भाईयों के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ,8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो पूर्व में वादी के दादा के नाम से दर्ज थी जिनके देहान्त होने पर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है इसलिये पैतृक सम्पति है हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 का बराबर का हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 ,6 ,7 9 ता 13 ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के पक्ष में किया जा चुका है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ,8 ता 10 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 6 ,7 ,9 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा ललानाबास उतरादा के खाता संख्या 105/102 की 7.6510हैक में से पनाराम का नाम कलमजन किया जाकर 0.4718हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम तथा शेष 7.1792 हैक भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 व 8 के नाम बहिब तथा रोही मौजा जोरावरपुरा के खाता संख्या 24/23 की समस्त 8.6500हैक पन्नाराम के नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ,5 व 8 के नाम बहिब दर्ज की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय आदेश के सलग्न 5000/– पांच हजार का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 07.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

(उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official